कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल म0प्र0

//नीलामी विज्ञप्ति की शर्तें//

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, अरेरा हिल्स भोपाल में अनुपयोगी फर्नीचर एवं अनुपयोगी विद्युत सामग्री का विक्रय खुली नीलामी द्वारा बोली लगाकर दिनांक 16.05.2025 को सुबह 11:00 बजे से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन परिसर, अरेरा हिल्स भोपाल में किया जावेगा। नीलामी कार्यवाही उक्त दिनांक को पूर्ण नहीं होने की दशा में आगे के कार्य दिवस में भी जारी रखी जा सकेगी।

नीलाम की शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले बोलीकर्ताओं में से अधिकतम बोली स्वीकार्य की जावेगी। अधिकतम बोलीकर्ता को क्रय किये गये फर्नीचर एवं विद्युत सामग्री की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त नीलामी प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के पश्चात तत्काल ही कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी एवं नीलामी की गई सामग्री का आधिपत्य भी प्राप्त करना होगा।

2. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार करने तथा नीलामी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक देने का या निरस्त करने का अधिकार होगा। नीलामी के पश्चात नीलाम की गई सम्पत्ति की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद ग्राह्य नहीं होगा।

3. नीलाम की जाने वाली फर्नीचर सामग्रियों की सूची एवं उनका निरीक्षण दिनांक 09.05.2025 से दिनांक 10.05.2025 तक कार्यालयीन समय में जिला न्यायालय भवन अरेरा हिल्स भोपाल में किया जा सकेगा।

4. नीलाम किये जाने वाले सामान को क्रय करने के लिये खुली नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति बोली लगाने हेतु दिनांक 16.05.2025 को 11:00 बजे जिला न्यायालय भवन परिसर भोपाल में उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकेंगे।

5. दिनांक 16.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक नीलामी से पूर्व नगद राशि रूपये 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि के रूप में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय भोपाल में जमा कराना आवश्यक होगा तथा नीलामी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम की गई बोलीकर्ता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीकर्ताओं की धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी तथा अंतिम बोलीकर्ता की राशि समायोजित की जावेगी।

21-4-25

वास्ते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल म0प्र0